FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम श्री गोपालसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा U/S 88, 188 R.T.A. मु0न0 53 सन 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ... कीतामील
04-7-18	वकील वादीगण उपस्थित। वाद पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के अधिकार सुरक्षित रखते हुए स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया जाता है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण को वाद चलाने की अनुमति दी जाती है। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर प्रकरण होकर एवं सम्मन जारी होकर दिनांक 07-08-18 को पेश हो। उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	सम्मन ... 25/7
07-8-18	वकील वादियागण उप. / स्वयं वादियागण उपस्थित / वादियागण ने जरिए अधिवक्ता प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा. दी. सपठित धारा 151 जा. दी. प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से तसफिया राशि प्राप्त कर ली इसलिये वादीगण वाद पत्र पर आगे कार्यवाही नहीं करवाकर वाद पत्र को विड्रो करवाना चाहते हैं / उपस्थित वादियागण को प्रार्थना-पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया / वाद समझने, वाद विड्रो किया जाना स्वीकार किया / उक्त आशय के हस्ताक्षर वादियागण से करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्तागण ने अंकित की / पत्रावली का अवलोकन किया गया / बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना से प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है / एवं वाद विड्रो की अनुमति दी जाती है एवं वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है / मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर	अ. नि... मैना दे... पत्नी...